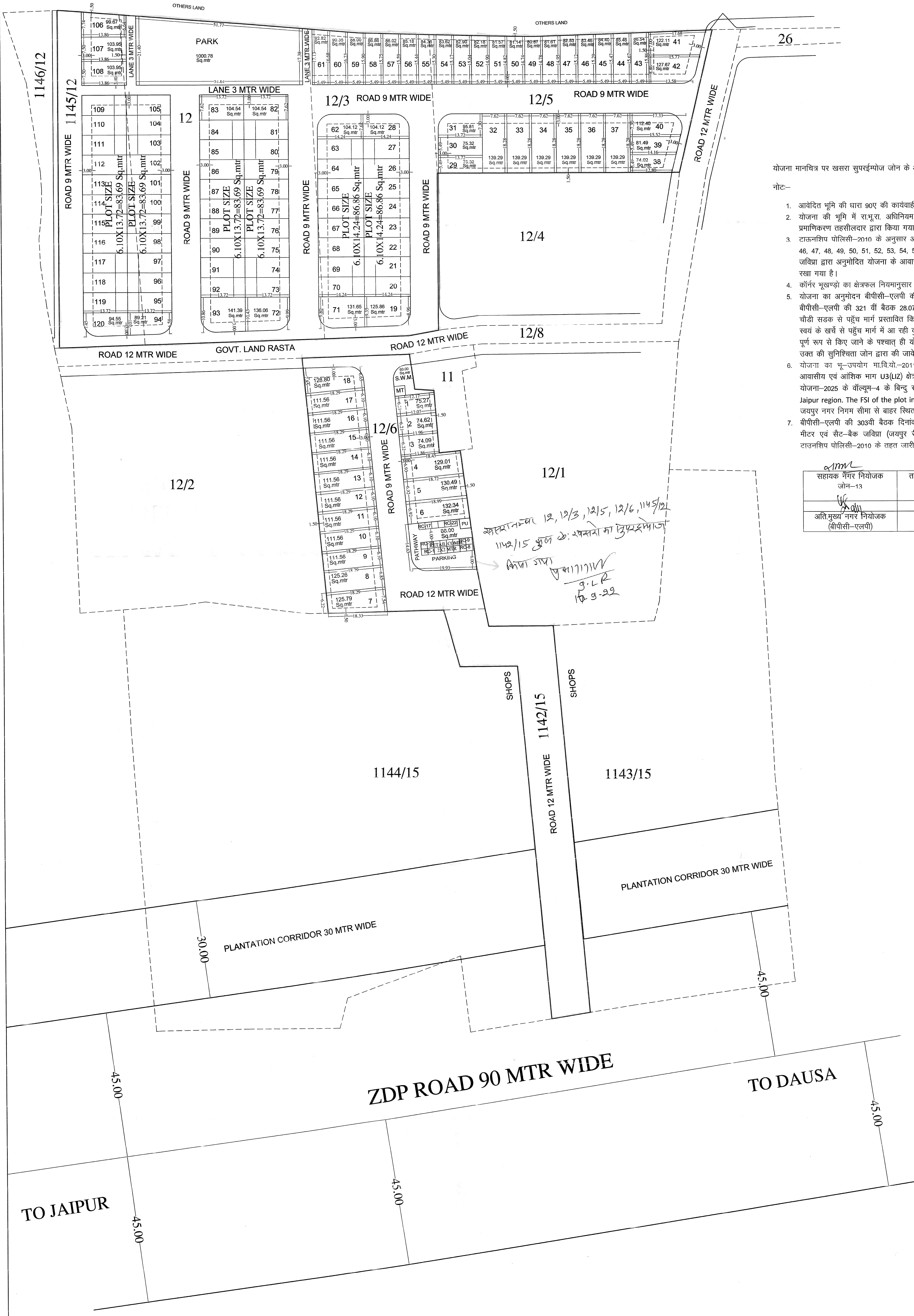


PROPOSED LAYOUT PLAN OF SCHEME

R.R. VALLEY

AT VILL. KANOTA TEH- BASSI, JAIPUR
KH. NO.-12,12/3,12/5,12/6,1145/12,1142/15

1180
B
11-11-22



योजना मानचित्र पर खसरा सुपरईम्पोज जोन के अमीन द्वारा का गया है।

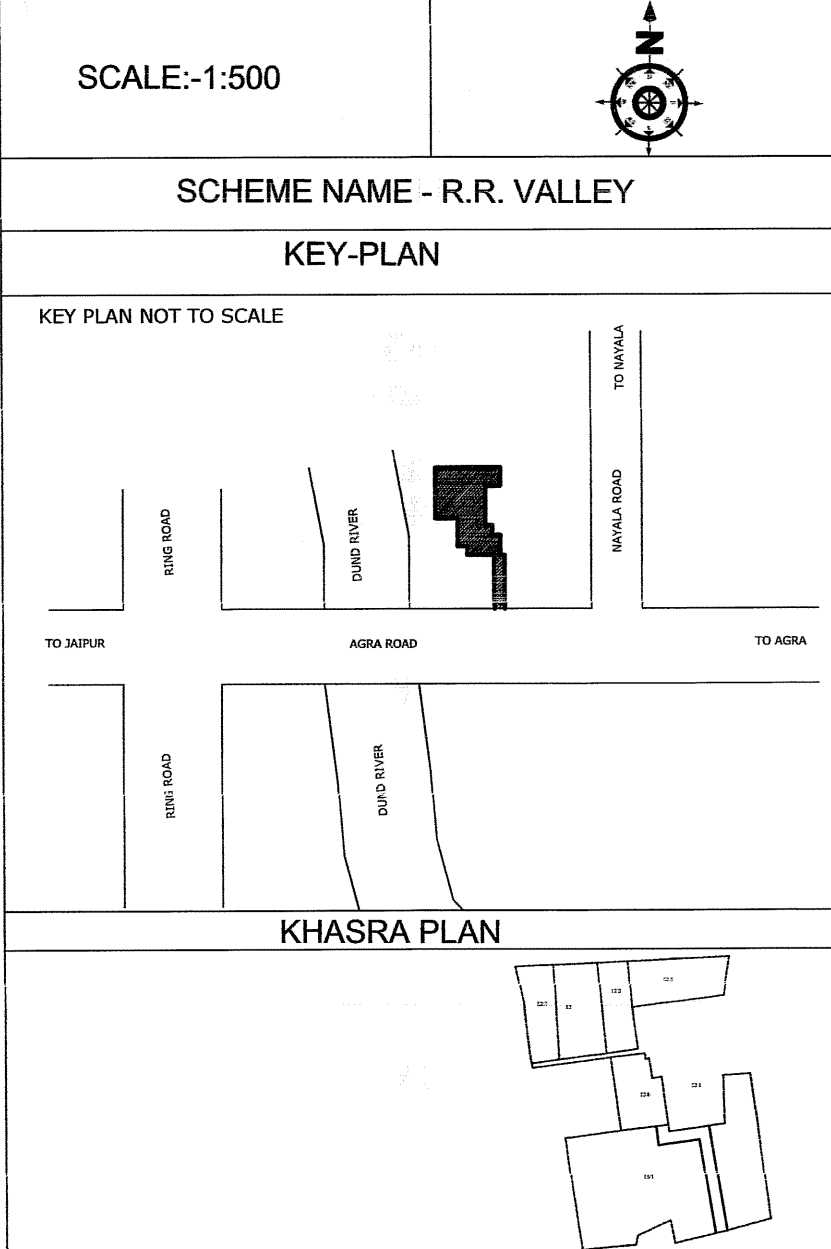
नोट:-

- आवंटित भूमि की धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक 12.01.2021 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाऊनशिप पोलिसी-2010 के अनुसार अन्तर्गत विकास के एजेंड में आवंटित द्वारा भूखण्ड संख्या 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 क्षेत्रफल 1436.27 वर्गमीटर है जो कि जमिंदार द्वारा अनुमोदित योजना के आवासीय व खुदरा व्यावसायिक 12.5 का प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है।
- कॉर्नर भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- योजना का अनुमोदन बीपीसी-एलपी की 303 वीं बैठक दिनांक 07.09.2021 को किया जा चुका है एवं बीपीसी-एलपी की 321 वीं बैठक 28.07.2022 के अनुसार आवंटित भूमि को आगरा रोड से 12.00 मीटर चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। उक्त पहुँच मार्ग पर दुकाने निर्मित हैं। आवंटित द्वारा स्वयं के खर्चे से पहुँच मार्ग में आ रही दुकानों ध्वस्त/हटवाने के उपरान्त एवं योजना के आन्तरिक विकास पूर्ण रूप से किए जाने के पश्चात् ही योजना में रहन रखे गए 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहनमुक्त किए जावे। उक्त की सुनिश्चिता जोन द्वारा की जायेगी।
- योजना का भू-उपयोग मा.वि.सो-2011 के अन्तर्गत आवासीय एवं 2025 के अनुसार अधिकांश भाग आवासीय एवं आंशिक भाग U3(U2) क्षेत्र के क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 106 से 120 दर्शित है। मास्टर विकास योजना-2025 के वॉल्यूम-4 के विन्दु संख्या 10.10.1 के अनुसार U3(U2) the land utilization map of Jaipur region. The FSI of the plot in case of U2 in restricted to standard FSI only है एवं योजना जयपुर नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है।
- बीपीसी-एलपी की 303वीं बैठक दिनांक 07.09.2021 के निर्णय की पालना में योजना भूखण्ड पर पैरा मीटर एवं सैट-बैक जमिन् (जयपुर रीजन भवन) विनिमय 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र पर टाऊनशिप पोलिसी-2010 के तहत जारी किया जा रहा है।

सहायक नगर नियोजक जोन-13	तहसीलदार, जोन-13	उपस्थित जोन-13
आति मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी-एलपी)	वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी-एलपी)	

खसरा नम्बर 12, 12/3, 12/5, 12/6, 1145/12, 1142/15
भूमि के उपरोक्त का सुपरईम्पोज
किया गया
9.12
12.9.22

----- KHASRA BOUNDARY
----- SCHEME BOUNDARY



मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसूचक भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

- आवासीय
- व्यावसायिक
- पूर्व / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
 - चट दीवारी निर्मित भूखण्ड -
 - खाली भूखण्ड -

कुल भूखण्ड
मौके के अनुसूचक योजना के भू उपयोग व तकनीकी विशेषता :-

		(Sq.mtr)	
1	RESIDENTIAL	11386.09	56.94%
2	RETAIL COMM.	88.00	0.44%
6	M.T./S.W.M.	70.00	0.35%
7	PARK	1000.78	5.00%
8	ROAD	7450.13	37.27%
	TOTAL	19995.00	100.00%

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90A की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण से प्राप्त किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

उपस्थित जोन:-

बी.पी.सी. / जी. एन. जी. की बैठक संख्या
की अनुमोदन में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :- R.R. VALLEY AT VILL. KANOTA TEH. :- BASSI, JAIPUR.	
ZONE NO.	SECTOR NO.
	DRG. NO.
A.T.P. ZONE	D.T.P.
	S.T.P.
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR	